

# न्यायालय – भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी



दा० खा० अपील वाद सं०– 13/2020-21

प्रथम पक्ष

– राजो देवी पति श्री बनारस कुमार महतो  
ग्राम– बनगनालोया, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी।

द्वितीय पक्ष

– अंचल अधिकारी, खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई										
25.01.21	<p>अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०–1560R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.19 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–</p> <table border="1" data-bbox="343 705 1396 840"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>खूँटी टोली</td> <td>खूँटी 80</td> <td>70</td> <td>546</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, तोरपा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक ने उक्त भूमि श्री लखन राम महतो पिता स्व० रघुनाथ महतो ग्राम–तोरपा रोड खूँटी टोली, थाना–खूँटी से रजिस्ट्री पट्टा सं० 614/608 दिनांक 10.07.2018 के द्वारा क्रय किया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि का दखल संबंधी जांच की प्रक्रिया चलने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि अंचल अधिकारी, खूँटी का आदेश विधि एवं तथ्यों के दृष्टि से दोषपूर्ण है और अपास्त करने योग्य है। अंचल अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में संलग्न कागजातों का अवलोकन नहीं किया तथा आवेदित भूमि कर उचित जांच भी नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नहीं लिया गया है तथा बिना साक्ष्य के ही दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। अंत में अपील स्वीकार करने का प्रार्थना करते हैं।</p> <p>अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, खूँटी को Remand करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदित भूमि का दखल संबंधी स्वयं स्थल जांच करते हुए नामांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">               25/01/21              भूमि सुधार उप समाहर्ता,              खूँटी।         </p> <p style="text-align: right;">               25/01/21              भूमि सुधार उप समाहर्ता,              खूँटी।         </p>	मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)	खूँटी टोली	खूँटी 80	70	546	0.05	
मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)								
खूँटी टोली	खूँटी 80	70	546	0.05								